## कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर—831001) दूरभाष संख्या— 0657—2231017, फैक्स—0657—2231017, ई—मेल— <u>dfo-jamshedpur@gov.in</u>

पत्रांकः 443/जमशेदपुर

दिनांक 19-02-2021

प्रेषक.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

सेवा में.

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय :-

धालभूमगढ हवाईअङ्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 652 दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक 798 दिनांक 01.08.2023
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 1191 दिनांक 05.07.2023, पत्रांक 1462 दिनांक 08.08.2023, पत्रांक 1666 दिनांक 15.09.2023 एवं पत्रांक 2123 दिनांक 23.11.2023
- 3. आपका ज्ञापांक 761 दिनांक 07.07.2023, ज्ञापांक 1032 दिनांक 26.08.2023, ज्ञापांक 1104 दिनांक 11.09.2023 एवं ज्ञापांक 1508 दिनांक 08.12.2023
- 4. विमानपत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची का पत्रांक शून्य दिनांक 07.02.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :--

पृच्छा संख्या	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर-वनभूमि का KML File CD के	
	रूप में समर्पित किया गया है। जाँचोपरांत CD के रूप में	KML File CD में समर्पित किया गया है। अनु०-1
	समर्पित KML कुल 99.292 हे० का है जो कि प्रस्तावित	
	एरिया के लगभग में है तथा स्वीकार योग्य है। किन्तु Form-A, Part-I Online में मात्र 61.2603 है० का KML File	
	Uploaded है जो की प्रस्तावित रकबा से लगभग 38 है	
	कम का है। अतएव, Online uploaded KML File में सुधार	
	अपेक्षित है।	
5.	FRA प्रमाण-पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या— 2 के
	समर्पित नहीं की गई है।	अनुपालन के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन
		एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के
		पत्रांक F.N. 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019
		(अनु०- 2) में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आलोक
		में प्रतिवेदित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम
		1980 के तहत् सभी प्रस्तावों में स्टेज— I की

स्वीकृति के उपरान्त परन्तु स्टेज— II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव से संबंधित FRA प्रमाण-पत्र तथा ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रथम स्टेज की स्वीकृति के अनुपालन के साथ समर्पित कर दी जायेगी।

अतः लंबित पृच्छाओं एवं आपत्तियों के अनुपालन के क्रम में बिन्दु संख्या (3 एवं 5) का निराकरण प्रतिवेदन अनुलग्नकों के साथ आठ—आठ प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर।

दिनांक: 07.02.2024

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी जमशेदपुर वन प्रमण्डल जमशेदपुर

विषयः घालमूमगढ़ हवाईअङ्डा के विकास हेतु 99.256 है0 वन मूमि आयोजन प्रस्ताव के संबंध में। प्रसंगः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल के कार्यालय का पत्रांक 2852/जमशेदपुर दिनांक 29/11/2023

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्रदत्त दिशानिर्देश के अनुसार धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 भूमि अपयोजन प्रस्ताव में बतायी गयी त्रुटियों में अपेक्षित सुधार कर पुनः समर्पित की जा रही है।

त्रुटियाँ, निर्देश एवं अनुपालन प्रतिवेदन निम्नलिखित है।

पृच्छा संख्या	विसंगति	निर्देश	अनुपालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर—वनभूमि का KML File CD के रूप में समर्पित किया गया है। जाँचोपरांत CD के रूप में समर्पित KML कुल 99.292 हे0 का है जो कि प्रस्तावित एरिया के लगभग में है तथा स्वीकार योग्य है। किन्तु Form-A, Part-I Online में मात्र 61.2603 हे0 का KML File Uploaded है जो की प्रस्तावित रकबा से लगभग 38 हे0 कम का है। अतएव, Online Uploaded KML File में सुधार अपेक्षित है।	2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित त्रुटि का निराकण कर KML File Parivesh Portal पर अपलोड कर दी गई है, जबकि परिवेश पोर्टल के Online Part-I में संबंधित संशोधित सूचनायें दृष्टिगत नहीं हो रही है। अतः इसे पुनः Upload किया	निर्देशानुसार त्रुटि का निराकरण कर KML File Parivesh Portal पर Upload कर दी गई है तथा KML File, Parivesh Portal पर दृष्टिगत हो रही है।
2.	FRA प्रमाण-पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित नहीं की गई है।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित नहीं किया गया है। अतः इसे अविलम्ब समर्पित किया जाय।  MAMTA PRIYADARSHI Divisional Forest Officer Jamshedpur Forest Division	1. महाशया से अनुरोध है कि भारत सरकार के F.No. 11-43/2013-FC, Dated 26/2/2019 [Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Division)] जिसमें की यह कहा गया है की वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र वन अपयोजन प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुामोदन हेतु अनिवार्य नहीं है

••• हिंदी पत्रों का स्वागत है •••

wellow विशासमध्य निदेशक एक The Support Director

बिरसा मुण्डा हवाईअड्डा, रॉची 834002 टेलि 0651 2253395 ई मल : apd verc a ani acro Birsa Munda Airport, Ranchi 834002 Tel: 0651-2253395 E-mail : apd\_verc@aai.aero







## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

के आलोक में 'घालमूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास वन मूमि आयोजन प्रस्ताव को अग्रसरित करने की कृपा करें। 2. प्रस्ताव से संबंधित FRA प्रमाण तथा ग्राम सभा की कार्यवाही

Stage-I compliance के साथ समर्पित कर दी जाएगी।

अनुरोध है कि अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें। सन्धवाद

(आर. आर. मौर्या) विमानपत्तन निदेशक

बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची

## अनुलग्नक:-

. Se vecet Director

1. F.No. 11-43/2013-FC, Dated 26/2/2019 [Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Division)। की प्रतिलिपी।

> MAMTA PRIYADARSHI Divisional Forest Officer Jamshedpur Forest Division Jamshedpur

## Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan Jor Bagh Road, Aliganj New Delhi-110003

Dated: M February, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) the District Collector shall

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.

I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act, 1980 to this Ministry for consideration.

Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office

2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India

3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India

4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India

5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments

- Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
- All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.

8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI

 All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(RoHQ).

10.Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.

11.Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC

12.Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI

13.Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation),
MoEF&CC, GoI.

MAMTA PRIYADARSHI Divisional Forest Officer Jamshedpur Forest Division Jamshedpur

0/0

Dy. Inspector General of Forests

12/3/19